CCI NG 3.7 Product: NBTDelhiBS PubDate: 18-10-2026 Zone: Mahanagar Edition: 1 Page: NBTMAH12 User: cci Time: 10-17-2026 22:37 Color:

आत्मा से पहले उपनाम

डॉ. श्रेयांश तिर्की से मुलाकात ने मुझे उस भारत से मिलाया, जिसे हम देखते तो हैं, पर समझने की कोशिश कम करते हैं:

■ सुवीर सरन



दिल्ली की एक सड़क पर मैं सूटकेस और ब्रीफकेस के बीच संतुलन संभाल रहा था। शहर अपनी रोज़ की जल्दी में बह रहा था-हॉर्न, धूल, भागते कदम और वह बेपरवाही, जिसमें लोग देखते तो हैं, मगर हमेशा देख नहीं पाते। तभी एक नौजवान रुका और मेरा सामान संभाल लिया। परिचय से पहले इंसानियत ने हाथ बढ़ाया।

उसका चेहरा मुझे कुछ अलग लगा। मैंने पूछा, 'आप जावा या किसी प्रशांत द्वीप से हैं?' वह मुस्कुराया, 'नहीं, मैं झारखंड का आदिवासी हूं।' वह उरांव समुदाय से है। उसका नाम डॉ. श्रेयांश तिर्की है। उस दिन दिल्ली की सड़क पर एक अजनबी ने मेरा सामान हल्का किया और बातचीत ने मेरे भीतर भारत का एक अनजाना नक्शा खोल दिया।

श्रेयांश रांची के हैं। छोटानागपुर के उस पठार से, जहां लाल मिट्टी में बारिश की गंध है और साल के पेड़ पहरेदार-से खड़े रहते हैं। हम झारखंड को अक्सर कोयले, लोहे, अभ्रक और खदानों से पहचानते हैं। पहाड़ से क्या निकलेगा, नदी पर क्या बांधा जा सकता है, जंगल से क्या काटा जा सकता है। मगर भू-दृश्य संसाधन का गोदाम नहीं, वह स्मृति है, मां है, खुली किताब है।

श्रेयांश उरांव हैं। उनकी भाषा कुरुख है और परिवार सरना आस्था से जुड़ा है। वहां प्रकृति की सजावट नहीं, पवित्र उपस्थिति है। घर की दीवार के पास पुरखों की याद में पत्तों पर भोजन रखा जाता है। दिन भर में कोई चिड़िया दाना ले जाती है, कोई कीड़ा कौर, हवा उसकी खुशबू। भोजन जीवन में लौट जाता है। शरीर से चले गए पुरखे अपनापन छोड़कर नहीं जाते। न कुछ पूरी तरह खोता है, न कुछ अकेले हमारा होता है। तिर्की उपनाम का रिश्ता एक पक्षी से बताया जाता है। कछाओ नाम कछुए से जुड़ता है। नाम भी मनुष्य को दूसरे जीवों के परिवार में लौटा देते हैं।

हमारी बातचीत करम पर्व पर पहुंची। एक ऐसा उत्सव जिसके बारे में भारत में आधी सदी से अधिक रहते हुए भी मैं नहीं जानता था। करम वृक्ष के नाम पर मनाया जाने वाला यह पर्व प्रकृति, मेहनत, भाई-बहन के रिश्ते और समुदाय की एकता का उत्सव है। सरहुल में साल के फूल और धरती-आकाश के मिलन का स्वागत होता है। लोग मिलते, गाते, नाचते और एक-दूसरे की प्रशंसा करते हैं। वे संस्कृति को कुर्सियों पर बैठकर देखते नहीं, वे खुद संस्कृति बनकर चलते, गाते और बांटते हैं।

श्रेयांश ने धुस्का का ज़िक्र किया। चावल और दाल के खमीर उठे घोल से बनी कुरकुरी-नरम पकौड़ी। हड़िया चावल से बना पारंपरिक पेय और सामुदायिक जीवन का हिस्सा है। मैं शेफ हूं, भोजन की भाषा पढ़ते-पढ़ते लोगों को पढ़ना सीखा है। एक थाली बताती है कि किसने क्या उगाया, किसे साथ बिठाया और मुश्किल दिनों में कैसे गुज़ारा किया। आदिवासी भोजन पिछड़ेपन का निशान नहीं, वह ज़मीन, मौसम और साझेदारी को जानता है।

श्रेयांश तेरह-चौदह लोगों के संयुक्त परिवार में पले। परिवार में शिक्षक, कारोबारी, शेफ, दो पायलट, बैंककर्मी और फिल्मों से जुड़े सदस्य हैं। उन्होंने रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ से डॉक्टरी पढ़ी, छोटे भाई भी डॉक्टर बनने की राह पर हैं। उनकी दादी कम उम्र में विधवा हुईं, पिता तब आठ-नौ बरस के थे। दादी बाज़ार में सब्ज़ियां बेचकर बच्चों की पढ़ाई के पैसे जोड़तीं। हर इंकलाब मंच से नहीं शुरू होता, कभी वह बाज़ार में बैठी उस औरत से शुरू होता है जो गरीबी को बच्चों की आखिरी कहानी नहीं बनने देती।


AI Image

भारत ने आदिवासी समुदायों को लंबे समय तक कमी की नज़र से देखा- शिक्षा, महत्वाकांक्षा, काबिलियत की कमी। शायद कमी हमारी जिज्ञासा और इंसाफ की थी। वे तब काबिल नहीं बने जब हमने उन्हें देखा, हमने देर से उनके रास्ते से कुछ पत्थर हटाए। श्रेयांश की मां ऊंचे स्तर पर हॉकी खेलीं, लेकिन भेदभाव और तकलीफ के एक अनुभव ने उनकी खेल-यात्रा रोक दी। उस चोट की बारीकियां कुरेदना ज़रूरी नहीं, इतना काफी है कि प्रतिभा थमी, संभावना सिकुड़ी।

अनकही कहानियां

मिशनरी स्कूल में उनसे पूछा गया-हिंदू हो, मुसलमान या ईसाई? उनका जवाब था, 'मैं आदिवासी हूं।' दूसरे बच्चे दूर चले गए। बाद में एक ऊंची जाति के दोस्त के घर उन्हें पानी डिस्पोज़ेबल गिलास में दिया गया। तब वह अर्थ नहीं समझे। बच्चे अपमान को नाम देने से पहले भीतर जमा कर लेते हैं। बरसों बाद उस दोस्त कृष्ण ने समझा और माफी मांगी। माफी घाव नहीं मिटाती, मगर उसके आगे बढ़ते रहने को रोक सकती है। अपने भीतर सीखे भेदभाव को पहचानना भी शिक्षा है।

तंज़ जारी रहे। एक साथी ने पूछा कि शादी में पहुंचे उनके चचेरे भाई 'बर्तन धोने गए थे क्या?' वह मेहमान थे। सफर में श्रेयांश कभी पूरा नाम नहीं बताते, क्योंकि अगला सवाल हो सकता है, 'जाति क्या है?' दक्षिण दिल्ली में उन्हें मकान मिला, शायद इसलिए कि वह डॉक्टर थे। वह सिर्फ आदिवासी युवक बनकर आते तो क्या दरवाज़ा खुलता?

मैंने सोचा था कि नई पीढ़ी उपनामों से लोगों को तौलना छोड़ देगी। मगर युवा और पेशेवर जगहों पर आज भी सहजता से पूछा जाता है- 'तुम्हारी जाति क्या है?' उपनाम आत्मा से पहले पहुंच जाता है, जिज्ञासा की जगह खाना भर देता है। देशभक्ति का अर्थ आईने में अपना चेहरा बेदाग घोषित करना नहीं। भारत से प्यार है तो उसकी तरक्की पर गर्व के साथ उसके अन्याय पर सवाल भी करना होगा। मोहब्बत में जवाबदेही होती है।

झारखंड की मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज़ स्कॉलरशिप आदिवासी और दूसरे वंचित विद्यार्थियों को विदेश में उच्च शिक्षा का अवसर देती है। जिन समुदायों के बारे में बाहर के लोग फैसले करते आए, अब वे अपने प्रतिनिधि दुनिया के सामने भेज सकते हैं। श्रेयांश ने कहा, 'पूरी दुनिया में अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करना।' प्रतिनिधित्व खैरात नहीं, सुधार है। लेकिन सम्मान पाने के लिए आदिवासी को डॉक्टर या विद्वान बनना पड़े, यह मंज़ूर नहीं। खेत में काम करता शख्स भी उतनी ही इज्जत का हकदार है। प्रतिभा हर जगह है, अवसर हर जगह नहीं, आरक्षण उसी फासले को पाटने की कोशिश है।

श्रेयांश ने एक ऐसे दोस्त का ज़िक्र किया, जो दूर-दराज़ के वंचित इलाके से आया, आरक्षण के सहारे मेडिकल कॉलेज पहुंचा और अब एम्स में है। बीज पत्थर के नीचे दबा हो तो कमज़ोर नहीं होता, उसे रोशनी और जगह चाहिए।

श्रेयांश में मुझे चोट से ज्यादा सहजता याद रही। उन्हें उरांव होने पर शर्म नहीं थी, न वह पीड़ा का प्रदर्शन कर रहे थे। उनका गर्व शांत और जड़ों से जुड़ा हुआ था। उन्होंने बांटने, भूखे को खिलाने और दूसरे को उठाने की बात की। जिन्हें हम अहंकारवश 'पिछड़ा' कहते हैं, उन्होंने कुछ ज़रूरी बातें बचाकर रखी हैं। कोई अकेले नहीं खाता, ज़मीन केवल जायदाद नहीं, समुदाय भी संपत्ति है, कृतज्ञता पोस्ट नहीं, अभ्यास है।

उस दिन हमने नंबर बदले। उम्मीद है, मेरी दिल्ली-मुंबई की भागदौड़ और उनकी पढ़ाई के बीच किसी दिन साथ खाना खाएंगे। मगर वह मुझे पहले ही खिला चुके हैं-एक और भारत का कौर। ऐसा भारत जो पुराना है, मगर अप्रासंगिक नहीं। जिसे भुलाया गया, मगर जिसने देखना नहीं छोड़ा। शायद उसका भविष्य सिर्फ टावरों, एक्सप्रेसवे और आर्थिक सपनों में नहीं, किसी उरांव घर के पत्तों पर भी ठहरा है, जहां चिड़िया और कीड़ा भोजन बिना जाति पूछे ले जाते हैं। वे खाते हैं। धरती ग्रहण करती है। जीवन चलता रहता है। मैं उनसे पूछकर आया था, 'आप कहां से हैं?' अब अपने आप से पूछता हूं- हम बाकी लोग जा कहां रहे हैं? उस पल में, आत्मा से पहले कोई उपनाम नहीं आता।

हमें बताएं: इस पर क्या है आपकी राय, हमें sundaynbt@timesofindia.com पर ईमेल करें या वॉट्सऐप नंबर 89298-16941 पर भेजें।

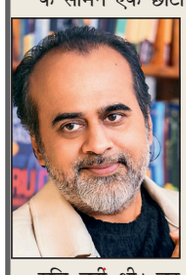
दुनियादारी | संडे NBT स्पेशल

जलवायु नकारवाद

बहाने नए, बेईमानी पुरानी

■ आचार्य प्रशांत

हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर एक चर्चा में मैंने लोगों के सामने एक छोटा-सा प्रयोग किया। मेज़ पर बर्फ़ से भरा पारदर्शी डिब्बा था। बर्फ माने ग्लेशियर; पानी माने महासागर, हिमालय की नदियां। चर्चा आगे बढ़ती गई, बर्फ पिघलती गई और पानी का स्तर बढ़ता गया। एक युवती जलवायु नकारवादियों के तर्क रख रही थी। संकट पर बहस थी, जबकि उसका नमूना सामने था। बर्फ को हमारे तर्कों में कोई रुचि नहीं थी। वह पिघलती रही। नेपाल के हालिया हिमस्खलन और बाढ़ दिखाते हैं कि बर्फ और चट्टान ढहने से कैसी तबाही हो सकती है।



जलवायु नकारवाद कई दौर से गुज़रा है। पहले कहा गया, धरती गरम हो ही नहीं रही। फिर कहा गया, जलवायु तो हमेशा से बदलती आई है। अगला तर्क था कि इसमें इंसान का हाथ नहीं है। बाद में मनुष्य की ज़िम्मेदारी कुछ हद तक मानी गई, लेकिन नतीजों को गंभीर नहीं माना गया। आज कहते हैं, उत्सर्जन घटाया तो विकास चौपट होगा या स्वच्छ तकनीक सब सुलझा देगी। तर्क बदलते रहे, निष्कर्ष वही रहा: उत्पादन और उपभोग का हमारा मौजूदा ढर्रा न छेड़ा जाए। फैसला पहले ही हो चुका था; तर्क बाद में जुटाए गए।

तेल कंपनी एक्सॉनमोबिल के वैज्ञानिक दशकों पहले तापमान बढ़ने का सही अनुमान लगा रहे थे। लेकिन उसके सार्वजनिक प्रचार में उसी विज्ञान पर सवाल उठते रहे। कंपनी जनता को गुमराह करने के आरोपों से इनकार करती है। फिर पढ़े-लिखे लोगों को ये तर्क सुविधाजनक क्यों लगे? क्योंकि सिर्फ कंपनी का स्वार्थ दांव पर नहीं था। उत्पादक बेचते रहना चाहता था, उपभोक्ता भोगते रहना। दोनों के स्वार्थ एक जगह आ मिले।

पर तथ्य क्या है? औद्योगीकरण से पहले वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 280 पीपीएम थी; आज 425 से ऊपर है। यह अतिरिक्त कार्बन मुख्यतः कोयले, तेल और गैस से आया है। ग्लेशियर घट रहे हैं, समुद्र चढ़ रहा है, महासागरों में गर्मी जमा हो रही है। आज धरती पर आठ सौ करोड़ से ज्यादा लोग हैं। शहर, खेत, सड़कें, कारखाने कहां उठाकर ले जाएंगे? अमीर देशों ने ज्यादा उत्सर्जन किया है, लेकिन इससे भौतिकी के नियम नहीं बदल जाते।

साफ़ बिजली, बेहतर बैटरियां, कुशल परिवहन, सब चाहिए। पर तकनीक पूरा उत्तर नहीं है। एक डीज़ल कार की जगह तीन इलेक्ट्रिक कारें आ जाएं, तो पर्यावरण पर कुल बोझ घटे, यह ज़रूरी नहीं। हम पूछते हैं कि कम उत्सर्जन में ज्यादा ऊर्जा कैसे बने। पर इतनी ऊर्जा चाहिए ही क्यों? एक कार काफ़ी थी, तो अब तीन क्यों चाहिए?

ये बढ़ती मांगें आती कहां से हैं? इंसान का अहंकार अपूर्णता है और अपूर्णता कामना बनकर बाहर दौड़ती है। कामना को पूरा होने के लिए ऊर्जा चाहिए। मान लीजिए मैं स्वीकार कर लूं कि मेरा उपभोग पर्यावरण के विनाश में योगदान दे रहा है। तब अपनी कामनाओं को जांचना पड़ेगा। अहंकार पहले तय करता है कि उसे क्या चाहिए, फिर अपनी पसंद बचाने के तर्क खोजता है। पढ़ा-लिखा आदमी कई बार अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ही तथ्यों से बचने के लिए करता है।

भोजन, घर, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवागमन के लिए संसाधन चाहिए; जिनके पास नहीं है, उन्हें मिलने चाहिए। पर उस मांग का क्या, जो ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद शुरू होती है? बड़ी गाड़ी, तीसरा घर, बेवजह की यात्राएं, ठीक-ठाक चीज़ों को बदलते रहना। यह ज़रूरत है, या कुछ और? भोजन के चुनाव में भी यही ज़िम्मेदारी चाहिए। पशु-आधारित भोजन के उत्पादन में आम तौर पर पौधों से मिलने वाले भोजन के मुकाबले ज्यादा ज़मीन लगती है और ज्यादा ग्रीनहाउस गैसें निकलती हैं। कानून और तकनीक चाहिए, लेकिन कामनाओं की जांच भी करनी होगी।

हमें मज़े के लिए इतना उपभोग क्यों करना पड़ता है? समझदारी से जीने में बहुत सुख है: अच्छा काम, सार्थक रिश्ते, पढ़ना, संगीत, कुछ नया सीखना। इनके लिए धरती से बहुत कुछ मांगना नहीं पड़ता। उत्तेजना से मिलने वाला सुख अलग है; आनंद कोई और महंगा अनुभव नहीं है। तकनीक कामनाएं पूरी करने के साधन बदल सकती है, पर उनकी जांच नहीं कर सकती। उसके लिए इंसान को भीतर देखना होगा। ...तो आपके लिए अच्छा समय क्या है? जीवन समय ही है। अगर ज्यादा उपभोग के अलावा आपके पास कोई उत्तर नहीं है तो आप धरती को आखिर किस लिए जला रहे हैं?

(आचार्य प्रशांत एक दार्शनिक और लेखक है। उनका कार्य आत्म-अन्वेषण और उसके समकालीन जीवन में अनुप्रयोग पर केंद्रित है।)





AI Image

■ पूनम पाण्डे

मेरा नाम पूनम है। इस नाम से मुझे कभी कोई परेशानी नहीं रही, लेकिन दूसरों को ज़रूर होती रही। नाम को लेकर हालांकि अलग-अलग मौकों पर कई खट्टे-मीठे वाकए ज़रूर हुए। सोशल मीडिया पर दो दिन से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक टिप्पणी वायरल हो रही है। इसमें बताया गया है कि 'राहुल गांधी ने कहा कि उनकी रिसर्च टीम बहुत कमाल की है। देश के एक कैबिनेट मंत्री के कई नाम हैं, फिर जब उनके घर का नाम पूछा गया तो कोई बता नहीं पाया। फिर राहुल ने कहा कि उनका घर का नाम पूनम है। इसके बाद उन्होंने कहा कि इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है।'

राहुल की राजनीति और उनका राजनीतिक संदर्भ क्या है इसमें पड़ने के बजाय मैं पूछना चाहूंगी कि डरने की ज़रूरत नहीं है जैसी बात का क्या मतलब निकाला जाए। क्या पूनम नाम किसी कमज़ोरी का प्रतीक है, क्योंकि अमूमन यह एक लड़की का नाम होता है? क्या पूनम नाम के लोग कमज़ोर होते हैं या फिर लड़कियां कमज़ोर होती हैं? इसका क्या ये मतलब माना जाए कि प्रियंका गांधी की कही बात, 'लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उनके आसपास के लोगों तक भी नहीं पहुंची है।'

सबकी हिम्मत उनके काम से झलकती है, वे क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये देखने के बजाय किसी को नाम से, लुक से जज करना कूल नहीं

अपने बचाव में आप कह सकते हो कि यह तो बस एक मज़ाक में कही बात थी। मजाक ठीक है लेकिन उस मजाक का क्या अर्थ निकल रहा है यह भी बोलने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए। राहुल के कहने का आशय चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब किसी नाम को डरने या न डरने की बात से जोड़ा जाता है तो उस नाम वाला कोई भी शख्स यही सोचेगा कि आखिर उसका नाम इस मजाक में क्यों आया।

वैसे मेरे साथ नाम को लेकर होने वाले ऐसे वाकए नए नहीं हैं। मेरा पूरा नाम पूनम पाण्डे है। मुझे मालूम है कि इस लाइन को पढ़कर कई लोग फिर मुस्कुराने लगे होंगे, एक अजीब टाइप की मुस्कान। क्योंकि इसी नाम की एक मशहूर मॉडल भी हैं। उनके काम और मेरी पत्रकारिता का क्षेत्र बिलकुल अलग है लेकिन कई बार लोगों के रिएक्शन से लगता है कि जैसे उन्हें अंतर समझ ही नहीं आता। हालांकि इसे लेकर मैं कभी वैसे गंभीर नहीं हुई हूं और हमेशा इसे मजाक में ही लिया है। जब मैं किसी नए शख्स से मिलती हूं और अपना परिचय देती हूं तो अक्सर ऐसा होता है कि उनके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आती है, जिसका मतलब मैं अच्छे से समझती हूं। कई लोग खुलकर ही बोल देते हैं। अक्सर मुझे नाम बताने के बाद जो रिएक्शन मिलते हैं उसके तुरंत बाद बोलना पड़ता है कि नॉट देट पूनम पाण्डे। यह बात मैं हंसकर ही कहती हूं।

एक पत्रकार के तौर पर जब मैं सोशल मीडिया पर अपनी रिपोर्ट, खबर या किसी घटनाक्रम से जुड़ी जानकारी साझा करती हूं तो कई बार ऐसे कमेंट आए हैं कि 'अरे, पूनम पाण्डे पत्रकार कब से बन गई?' ये भी कि 'अरे, पूनम पाण्डे ऐसे गंभीर विषय पर ट्वीट क्यों कर रही है।' ऐसे कमेंट पढ़कर कभी हैरानी होती है, कभी हंसी आती है और कभी यह सोचती हूं कि कोई इतना तो भोला नहीं हो सकता जो यह सोचे कि दुनिया में एक नाम का एक ही व्यक्ति होगा। दुनिया में एक ही नाम के अनगिनत लोग होते हैं। एक ही नाम वाले लोग कई बार एक जैसे पेशे में भी होते हैं। लेकिन फिर किसी की भी सार्वजनिक छवि दूसरे व्यक्ति की पहचान पर क्यों हावी होनी चाहिए? अक्सर लोग मुझे मॉडल पूनम पाण्डे से जुड़ी जानकारी मैं टैग कर देते हैं, वैसे यह भी हुआ है कि एक बार मेरे बर्थडे पर शुभकामनाएं देने वालों ने मॉडल पूनम पाण्डे को टैग कर दिया था। तब उन्हें खुद मुझे टैग कर लिखना पड़ा कि मेरी बर्थडे विशेज उनके पास चली गई हैं।

ऐसा हो जाता है, यह मैं समझ सकती हूं। सोशल मीडिया में लोग हैंडल को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं और गलती से गलत हैंडल टैग कर सकते हैं, यह समझ आता है। लेकिन यह नहीं हो सकता कि अलग फोटो, अलग बायो साफ-साफ दिखने के बाद भी लोग कंफ्यूज हों। यह जानबूझकर तफरी करने की नीयत हो सकती है। नाम सुनकर मुस्कुराने वालों पर वैसे गुस्सा नहीं आता है। पर नाम लेकर यह कहना कि नाम ये है इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं, इससे मुझे ऐतराज है। किसी को भी किसी के नाम का मजाक बनाने का हक नहीं और न ही नाम से किसी की हिम्मत जांचने की ज़रूरत है। सबकी हिम्मत उनके काम से झलकती है, वे क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये देखने के बजाय किसी को नाम से, उसके लुक से, उसकी भाषा से, बोलने के तरीके से, खान पान से या कपड़े से जज करना बिलकुल भी कूल नहीं है।

बस यही कहूंगी Bro, live a little!

Law Guru
राजेश चौधरी

सोशल मीडिया पोस्ट कब पहुंचा सकती है जेल...

सरकार की आलोचना, असहमति और व्यंग्य का अधिकार, लेकिन धमकी, मानहानि और नफरत फैलाने वाले कॉन्टेंट पर हो सकती है कार्रवाई


AI Image

फेसबुक पर किसी सरकार की आलोचना की, एक्स पर किसी मंत्री के फैसले पर सवाल उठाया, इंस्टाग्राम पर कोई व्यंग्यात्मक पोस्ट शेयर की या वॉट्सऐप पर किसी व्यवस्था के खिलाफ अपनी राय रखी। क्या इसके लिए पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है? क्या सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कुछ भी लिखने की छूट है? इनके जवाब तलाशने के लिए 2015 के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को समझना ज़रूरी है, जिसमें अदालत ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66ए को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया था। इस फैसले ने ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बड़ी राहत दी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि इंटरनेट कानून के दायरे से बाहर हो गया।



एक फेसबुक पोस्ट से शुरू हुई कानूनी लड़ाई

नवंबर 2012 में शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के निधन के बाद मुंबई में बंद के संदर्भ में फेसबुक पर टिप्पणी करने वाली दो युवतियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। एक युवती ने टिप्पणी की थी, जबकि दूसरी ने उसे लाइक किया था। दोनों की गिरफ्तारी ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या किसी विचार के आपत्तिजनक लगने या किसी को असुविधा होने भर से गिरफ्तारी की जा सकती है? इसके बाद कानून की छात्रा श्रेया सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आईटी एक्ट की धारा 66ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। 24 मार्च 2015 को जस्टिस जे. चेलमेश्वर और जस्टिस रोहिंटन नरीमन (अब रिटायर्ड) की पीठ ने इस धारा को निरस्त कर दिया। अदालत ने माना था कि एक व्यक्ति को जो बात आपत्तिजनक लग सकती है, दूसरे के लिए वही वैध आलोचना हो सकती है। इस फैसले का संदेश साफ था कि किसी विचार से असहमति या नाराजगी अपने आप में उसे अपराध बनाने का आधार नहीं हो सकती।

संविधान क्या कहता है: संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए) सभी नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। इसमें अपने विचार रखना, सरकार की नीतियों की आलोचना करना, सार्वजनिक मुद्दों पर बहस करना और असहमति जताना शामिल है। लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं है। अनुच्छेद 19(2) के तहत कानून द्वारा उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं जो वाजिब हों। इनमें भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता, अदालत की अवमानना, मानहानि और अपराध के लिए उकसाने जैसे आधार शामिल हैं यानी उक्त आधार पर सीमाएं तय हैं।

सिर्फ सरकार की आलोचना राजद्रोह नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में केदारनाथ सिंह से संबंधित वाद में जो फैसला दिया उसे पब्लिक ऑर्डर के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सरकार की आलोचना या फिर सरकार के प्रति असहमति जताने भर से राजद्रोह का मुकदमा नहीं बनता। राजद्रोह का केस तभी बनेगा जब कोई भी वक्तव्य ऐसा हो, जिसमें हिंसा फैलाने की मंशा हो या फिर हिंसा बढ़ाने का तत्व मौजूद हो।

मानहानि, धमकी और नफरत फैलाने वाली पोस्ट पर कार्रवाई: अगर कोई शख्स जानबूझकर ऐसा आरोप पब्लिक करता है या पब्लिश करता है, जिससे दूसरे की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है और वह आरोप मानहानि की कानूनी कसौटियों पर खरा उतरता है, तो कार्रवाई हो सकती है। इसी तरह, किसी को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना, शांति भंग कराने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना या धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर समूहों के बीच वैमनस्य फैलाना भी परिस्थितियों के अनुसार दंडनीय हो सकता है। ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 के प्रावधान लागू हो सकते हैं। कौन-सी धारा लागू होगी, यह पोस्ट के असल तथ्यों और कानूनी शर्तों पर निर्भर करेगा।



क्या पोस्ट को लाइक या शेयर करना भी अपराध बन सकता है?: सोशल मीडिया पर किसी कॉन्टेंट को लाइक करना, शेयर करना या उस पर टिप्पणी करना अपने आप में हर स्थिति में अपराध नहीं है। लेकिन किसी कॉन्टेंट को आगे प्रसारित करने वाले शख्स की भूमिका भी तथ्यों के आधार पर जांच के दायरे में आ सकती है।

आलोचना और अदालत की अवमानना में अंतर: अदालत के किसी फैसले से असहमति जताना, उसके कानूनी तर्कों की आलोचना करना और न्यायिक व्यवस्था में सुधार की मांग करना लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा है। लेकिन न्यायिक फैसले की आलोचना और अदालत की अवमानना के बीच कानूनी अंतर है। किसी टिप्पणी को अवमानना मानने के लिए संबंधित कानून और तथ्यों की कसौटी पर विचार करना होगा।

सरकार के पास अब भी क्या अधिकार हैं?: धारा 66ए के निरस्त होने का अर्थ यह नहीं है कि आईटी एक्ट के सभी प्रावधान समाप्त हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में धारा 69ए के तहत ऑनलाइन सामग्री तक सार्वजनिक पहुंच को ब्लॉक करने की व्यवस्था को निर्धारित कानूनी शर्तों के अधीन बरकरार रखा था।

सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले

- किसी न्यूज, फोटो या विडियो को शेयर करने से पहले उसकी सत्यता और सोर्स जानना, परखना ज़रूरी है।
- सरकार या संस्था या व्यक्ति की आलोचना करते समय तथ्यों और तर्कों का सहारा होना ज़रूरी है। झूठे आरोप परेशानी में डाल सकते हैं।
- किसी को नुकसान पहुंचाने की धमकी, हिंसा के लिए उकसाने या दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले कॉन्टेंट को सोशल मीडिया पर डालना या शेयर करना अपराध है।
- किसी विवादित पोस्ट को सिर्फ इसलिए आगे शेयर नही करना चाहिए कि आपको सही लगती है। तस्वीर या विडियो गलत सूचना फैला सकते हैं और आप परेशानी में पड़ सकते हैं।

सरकार की आलोचना अपराध नहीं, लेकिन हर पोस्ट सुरक्षित भी नहीं

लोकतंत्र में सरकार, राजनीतिक दलों, मंत्रियों और सार्वजनिक संस्थानों की आलोचना नागरिकों का अधिकार है। कोई शख्स लिख सकता है कि सरकार की नीति जनहित में नहीं है, किसी मंत्री का फैसला गलत है या किसी सार्वजनिक संस्था को अपने कामकाज में सुधार करना चाहिए। इसी तरह व्यंग्य, राजनीतिक कार्टून और तीखी टिप्पणी भी अभिव्यक्ति का हिस्सा हो सकते हैं। सिर्फ इसलिए कि किसी पोस्ट से सरकार या किसी प्रभावशाली व्यक्ति को असुविधा हुई, उसे स्वतः अपराध नहीं माना जा सकता। लेकिन अगर किसी पोस्ट में किसी व्यक्ति को गंभीर नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई हो, जानबूझकर समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने वाला कॉन्टेंट हो, किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले आरोप लगाए गए हों या अपराध के लिए उकसाया गया हो, तो परिस्थितियों के अनुसार कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

हमें ऐसे भेजें अपने सवाल

यह कॉलम आपके लिए ही है। अगर आप कानून से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं या किसी कानूनी मसले पर जानकारी चाहते हैं तो हमें sundaynbt@timesofindia.com पर ईमेल करें या वॉट्सऐप नंबर 89298-16941 पर मंगलवार तक भेज दें।